

URGENT

1. C. & E. (H)
2. C. & E. (H)

19/12/17

9139

19/12

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून।

फोन नं. 0135 2608106 फैक्स नं. 2608108

संख्या 7057 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8(50) / 2017

दिनांक: 15 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



2762

विषय:—मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-4629/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(50)/2017 दिनांक 13-07-2017 तथा पत्र संख्या-5303/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(50)/2017 दिनांक 24-08-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई थी।

इस सम्बन्ध में बागेश्वर व चम्पावत क्षेत्र में किये गये चिन्हित स्थलों का विवरण प्रेषित किया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

- 1— सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, बागेश्वर।
- 4— सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी।
- 5— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी
हल्द्वानी सम्भाग, हल्द्वानी।

दूरभाष नं०- 05946-260207

पत्रांक 87⁰¹⁹/सा0प्र0/दो-2 /17

दिनांक 22.11.2017

सेवा में,
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण कर आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक दिनांक 01.07.2017 को हुई समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा दुर्घटना संभावित स्थलों (Vulnerable Spots) के सम्बन्ध में चिन्हीकरण करते हुए आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 8022/सा0प्रशा0/दो-2/17 दिनांक 10.08.2017 के द्वारा समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन), हल्द्वानी/अल्मोड़ा संभाग को अपने-अपने जनपदों एवं परिक्षेत्र में पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए समस्त मार्गों के दुर्घटना संभावित स्थलों (Vulnerable Spots) का चिन्हीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) द्वारा अपने पत्र संख्या 3379/सा0प्रशा0/2017 दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से दुर्घटना संभावित स्थलों (Vulnerable Spots) का चिन्हीकरण कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

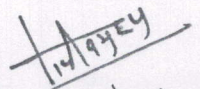
संलग्न:-यथोक्त।

AD(R-S)

ans

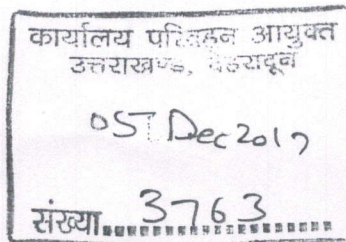
30/11/17

भवदीय,



(राजीव कुमार मेहरा)

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी/अल्मोड़ा।



कार्यलय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)

दूरभाष न०-05943-266498
Email-artochp-trans-uk@nic.in

पत्रांक:- 3379 / सा.प्र. / 2017

दिनांक:- 31.08.2017

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी

हल्द्वानी, नैनीताल।

विषय:- दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण कर आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संख्या 8022/सा0प्र0/दो-4/2017 दिनांक 10/08/2017 के सम्बन्ध में सादर अवगत करना है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वनरेबल/दुर्घटना प्रभावित/ब्लैक स्पॉट के निरीक्षण की आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

प्रतिलिपि- 1-जिलाधिकारी चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-पुलिस अधीक्षक को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3-पुलिस क्षेत्राधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

4-पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

5-अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

6-अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग टनकपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

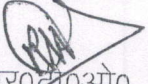
टनकपुर (चम्पावत)

G.A.
1.1.1.1.1.1
22.11.17

दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या

दिनांक 30/07/2017 को धूनाघाट-भिगराड़ा-रीठासाहिब मोटर मार्ग तक के दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्रों का पुलिस /लोकनिर्माण विभाग/परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्नवत है।

- 1-02 किमी की दूरी पर एच.पी. बैण्ड में तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 2-12 किमी की दूरी पर टाकखन्दक में तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 3-14 किमी की दूरी पर बिरगुल में क्रोनिक स्लिप जोन है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 4-17 किमी की दूरी पर बिरगुल में तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 5-27 किसी की दूरी पर खोखिया में एक तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 6-44 किमी की दूरी पर कारी में संवेदनशील क्षेत्र है जहां पत्थर गिरते हैं जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।


ए0आर0टी0ओ0
टनकपुर, चम्पावत


पुलिस क्षेत्राधिकारी
चम्पावत।


अधिशारी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्र की संयुक्त निरीक्षण ...

दिनांक 17/07/2017 को चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग तक के दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्रों का पुलिस /लोकनिर्माण विभाग/परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्नवत है।

1-12 किमी की दूरी पर कठाड़ में पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

2-15 किमी की दूरी पर मौनपोखरी में संवेदनलशील क्षेत्र है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

3-19 किमी की दूरी पर चतुर कोट में तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

4-27 किसी की दूरी पर खोखिया में एक तीव्र मोड़ है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

5-44 किमी की दूरी पर कारी में संवेदनलशील क्षेत्र है जहां पत्थर गिरते हैं जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

ए0आर0टी0ओ0
टनकपुर, चम्पावत

पुलिस क्षेत्राधिकारी
चम्पावत।

अधिसूचसी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या

दिनांक 09 अगस्त 2017 को ककराली गेट से भैरव मन्दिर मार्ग तक के दुर्घटनाग्रस्त सम्भावित क्षेत्रों का पुलिस / लोकनिर्माण विभाग / परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्नवत है।

- 1-02 किमी की दूरी पर एक नाला है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 2-04 किसी की दूरी पर एक नाला है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 3-05 किसी की दूरी पर एक नाला है जिसकी सूचना बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 4-08 किसी की दूरी पर बाटनागाढ़ एक अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां बॉल्डर, रोड़ी आदि बहकर आते हैं जिसके लिए उस स्थान पर जे.सी.बी. उपलब्ध रहनी चाहिए तथा समय-समय पर उक्त बॉल्डर/रोड़ी आदि की नीलामी की जानी चाहिए जिससे वह स्थान खाली किया जा सके तथा उक्त स्थान पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिससे दुर्घटना की सम्भावना को कम किया जा सके।
- 5- 13 किमी की दूरी पर कॉज वे है जिसकी मरम्मत की जानी आवश्यक है तथा बूम के पास विद्यालय से पूर्व एक बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है जिसमें इस बात का वर्णन किया जाना चाहिए कि आगे स्कूल है गति धीम रखें। बूम से आगे पहाड़ी रास्ता होने के कारण 'मोड़ों पर हार्न लगाएँ' के बोर्ड लगाने आवश्यक है।

ए०आर०टी०ओ०
टनकपुर, चम्पावत

पुलिस क्षेत्राधिकारी
टनकपुर, चम्पावत
पुलिस क्षेत्राधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)

लोक निर्माण विभाग, टनकपुर
लोक निर्माण विभाग, टनकपुर

पंजीकृत

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
सहस्रधारा रोड, कुल्हान,
देहरादून।

पत्रांक- 198 / चौतीस-06 / जे0ए0-स0सु0स0 / (14-15) / 17 दिनांक- 18 / 11 / 2017

विषय- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

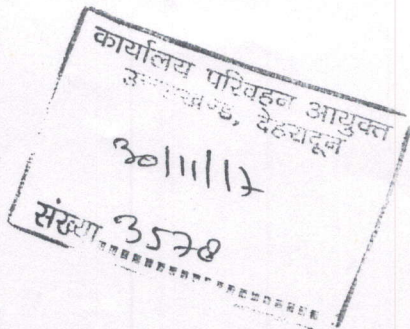
महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-4629/प्रवर्तन/स0सु0 / 1-8(50)/2017 दिनांक- 13.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र से की गई अपेक्षा के क्रम में जनपद स्तर पर परिवहन, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से जनपद के विभिन्न भागों का सर्वेक्षण कराने उपरान्त दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए प्रस्तावित सुधार हेतु कार्ययोजना की आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(रंजना राजगुरु)

जिलाधिकारी, बागेश्वर।



912 14-11-2017

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर।

Email- Artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्या 636 / सड़क सुरक्षा / 2017-18 54JA दिनांक 09-11-2017।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति,
बागेश्वर।

13.11.17

विषय—

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 936/चौतीस-06/जे0ए0-स0सु0स0/2014-15/17 दिनांक 08-07-2017 के क्रम में जनपद में दिनांक 10-10-2017 को बागेश्वर- बैजनाथ मोटर मार्ग, बैजनाथ -कौसानी मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण की आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सादर

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

संख्या ()/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

- 1- पुलिस अधीक्षक , बागेश्वर।
- 2- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

दिनांक 10.10.2017 को राज्य मार्ग संख्या-11 बागेश्वर-बैजनाथ-ग्वालदम प्रभाग पर दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या।

बागेश्वर-बैजनाथ मोटर मार्ग-

बागेश्वर-बैजनाथ मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण राज्य मार्ग है तथा इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा है। यह मार्ग वर्तमान में सिंगल लेन है अतः सुरक्षित यातायात हेतु इस मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता है। बहुली, रवाईखाल एवं बमराड़ी नामक स्थानों पर कैंश बैरियर की नितान्त आवश्यकता है। आबादी बहुल्य क्षेत्र में रम्बल स्ट्रिप एवं रोड साईनेज लगाया जाना आवश्यक है। मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्कूल के पास रम्बल स्ट्रिप एवं स्कूल साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। वाहनों के सायंकालीन सुरक्षित यातायात हेतु डेलीनेटर, कैट आईज लगाने की भी आवश्यकता है।

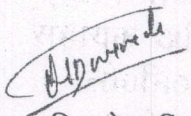
बैजनाथ-ग्वालदम मोटर मार्ग-

- निम्नलिखित किलोमीटर पर मार्ग अत्यन्त संकरा एवं घुमावदार होने के कारण, कैंश बैरियर की नितान्त आवश्यकता है।
- 1- किमी 79 (है 0मी 0-2)
 - 2- किमी 80 (है 0मी 0-2)
 - 3- किमी 85 (है 0मी 0-2) में लगभग 50मी 0 में कैंश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।
 - 4- किमी 85 (है 0मी 8-10)
 - 5- किमी 86 (है 0मी 0-2) में लगभग 50मी 0 में कैंश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।
 - 6- किमी 86 (है 0मी 4-6)
 - 7- किमी 87 (है 0मी 0-2) में लगभग 100मी 0 भाग में कैंश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।

उपर्युक्त स्थलों पर सायंकालीन सुरक्षित संचालन हेतु कैट आईज, डेलीनेटर एवं रोड साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता है।


(बीर सिंह)
पुलिस उपाधीक्षक
बागेश्वर


(पूजा नयाल)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर


(नवल किशोर द्विवेदी)
सहायक अभियंता
प्राख, लोनिवि, बागेश्वर

दिनांक 10.10.2017 को बैजनाथ-कौसानी मोटर मार्ग की दुर्घटना सम्भावित स्थल को चिन्हीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या

बैजनाथ-कौसानी मोटर मार्ग-

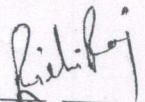
बैजनाथ-कौसानी मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण राज्य मार्ग है किमी 0 54 पर बलना नामक स्थान पर काफी तीव्र मोड़ स्थित है जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में उक्त स्थान पर कई वाहन दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अतः उक्त स्थल पर मार्ग को दोनों ओर से जोड़ते हेतु पुल की नितान्त आवश्यकता है। वर्तमान में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तात्कालीक उपाय के रूप में उक्त स्थल पर कैंश बैरियर लगाने की नितान्त आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग के निम्नलिखित किलोमीटर पर मार्ग सकरा एवं तीव्र मोड़ है जहाँ पर कैंश बैरियर, डेलीनेटर, रोड साईन बोर्ड एवं सम्पूर्ण मार्ग पर कैट आईज लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

- 1- किमी 0 56(हैमी 0 0-2) 100 मीटर लगभग
- 2- किमी 0 57(हैमी 0 2-4) 100 मीटर लगभग
- 3- किमी 0 61(हैमी 0 4-6) 100 मीटर लगभग
- 4- किमी 0 62(हैमी 0 4-6) (50 मीटर मार्ग पर कैंश बैरियर की नितान्त आवश्यकता है)


(बीर सिंह)
पुलिस उपाधीक्षक
बागेश्वर


(पूजा नायल)
सहायक सभागीय परिवहन
अधिकारी बागेश्वर


(ऋषि राज वर्मा)
सहायक अभियन्ता,
लो 0 नि 0 वि 0
बागेश्वर।